राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः 13(9)खा.वि/आवंटन/2024 जयपुर, दिनांकः .07.2024

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के सुचारू व समयबद्ध उठाव व परिवहन के संबंध में।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाव एवं परिवहन के परिपेक्ष्य में जिलों में खाद्यान्न के उठाव व परिवहन अन्तर्गत परिवहनकर्त्ताओं की निविदा अवधि पार होने व नवीन निविदा नहीं होने व अन्य कारणों से खाद्यान्न के उठाव व परिवहन में आ रही समस्याओं हेतु जिला कलेक्टर, सिरोही एवं अन्य जिला रसद अधिकारियों द्वारा विभाग को अवगत कराया गया है।

इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आरटीपी अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित उपापन समिति द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित दरों की सीमा में दक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा संबंधी प्रावधानों एवं निविदा के निबंधन और शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए गुणावगुण के आधार पर तीन माह या आरटीपी अधिनियम व नियमों के अनुसार नवीन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परिवहनकर्ता नियुक्त होने तथा जो भी पहले हो के लिए निम्नांकित विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन किया जाकर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती हैः—

1. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2023 के बिन्दु संख्या 38 एवं विभागीय दिशा—निर्देश दिनांक 15.12.2015 (संलग्न) के अनुसार राजकीय नियंत्रणाधीन सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यवाही।
2. आरटीपीपी अधिनियम की धारा 31, सपठित नियम 17 के अनुसार कार्यवाही। (एकल स्रोत उपापन)।
3. आरटीपीपी अधिनियम की धारा 35, सपठित नियम 28 के अनुसार कार्यवाही। (प्रतियोगी बातचीत)।
4. आरटीपीपी अधिनियम की धारा 30, सपठित नियम 16 के अनुसार कार्यवाही। (सीमित बोली)।

अतः खाद्यान्न के उठाव व परिवहन में किसी भी प्रकार की समस्या अंतर्गत उक्तानुसार प्रक्रिया अपनायी जाकर खाद्यान्न का उठाव/परिवहन सुनिश्चित किया जाकर पात्र लाभार्थियों में समयबद्ध खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करावें।

संलग्न :— उक्तानुसार।

(भास्कर ए. सांवत)
प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref
8814478

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, मा.खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राज.जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर (रसद), राजस्थान।
6. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान को पालनार्थ
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को वैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई—मेल करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bhaskar Atmaram Sawant
Designation : Principal Secretary To Government
Date :09-07-2024 09:55:37

RajKaj Ref 8814478

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ. 40(4)खा.ले./नीति/2009/पार्ट-III जयपुर, दिनांक: 5-2-15

दिशा-निर्देश

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संस्थाओं के गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव एवं परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों को डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है। राज्य में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के लागू होने के पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सामयिक आपूर्ति को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु, राज्य में कार्यरत थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:-

1. विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 40(2)खा.ले./नीति/2004 दिनांक 21.09.2004 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा पूर्वानुसार खाद्यान्नों का उठाव एवं आपूर्ति कार्य किया जाता रहेगा। जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों के पास स्वयं के वाहनों द्वारा परिवहन व्यवस्था है उनको नियमानुसार कमीशन, परिवहन तथा हेण्डलिंग व्यय देय होगा। परन्तु जिन स्थानों पर केवीएसएस द्वारा अन्य संस्था/व्यक्तियों से परिवहन हेतु वाहन अनुबंधित किये जाते है, उन समितियों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खुली निविदाऐं आमंत्रित कर नियमानुसार परिवहन कार्य कराया जावेगा।
2. राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि0 जिन जिलों/तहसीलों में थोक विक्रेता का कार्य कर रहा है एवं जिन तहसीलों में भविष्य में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, उन जिलों में निगम द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खुली निविदाऐं आमंत्रित कर नियमानुसार परिवहन कार्य कराया जावेगा। निगम द्वारा निविदा समिति का गठन नियमानुसार किया जावेगा। समिति के गठन का अनुमोदन जिला कलेक्टर से कराया जायेगा।
3. उपापन संस्था द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सूची तैयार की जावेगी तथा परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं खाद्यान्नों की सामयिक आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्य तत्कालीन कानूनों/नियमों के प्रावधान सम्मिलित किये जावेगें।
4. एक परिवहनकर्ता अधिकतम दो तहसीलों के कार्य हेतु ही नियुक्त किया जावेगा। निविदा हेतु परिवहनकर्ता से निविदा के समय 1.50 करोड़ का सोलवेन्सी प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्राप्त किया जावेगा तथा सफल निविदादाता से बैंक गारण्टी नियमानुसार बाद में प्राप्त की जावगी।
5. थोक विक्रेता द्वारा गेंहूँ के साथ-साथ चीनी की आपूर्ति भी गेंहूँ की परिवहन दरों पर अपने गोदाम से उचित मूल्य दुकान स्तर तक परिवहनकर्ता से कराई जावेगी तथा अनलोडिंग भी परिवहनकर्ता द्वारा किया जावेगा।

6. थोक विक्रेता द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु निर्धारित दरों के अन्तर्गत परिवहन कार्य कराया जावेगा। जिन थोक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर परिवहन कार्य कराया जा रहा है उनको उक्तानुसार कम परिवहन दरों का ही भुगतान देय होगा। यदि परिवहन निविदाओं के अन्तर्गत निर्धारित दरों से अधिक दरें प्राप्त होती है तो उपापन संस्था द्वारा जिला रसद अधिकारी के माध्यम से उक्त प्रस्ताव खाद्य विभाग को भिजवाया जावेगा तथा खाद्य विभाग द्वारा वित्त विभाग के अनुमोदन पश्चात् ही निर्धारित से अधिक परिवहन दरों का भुगतान हेतु अनुमति दी जा सकेगी।
7. यदि उपापन संस्था द्वारा सम्पूर्ण राज्य हेतु परिवहन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है तो इस हेतु गठित निविदा समिति के सदस्यों का अनुमोदन खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से कराये जाने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया सम्पादित की जावेगी।
8. अनुमोदित परिवहनकर्ता द्वारा उपापन संस्था के साथ नियमानुसार अनुबंध सम्पादित किया जावेगा जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं यथा समय जारी अन्य संबंधित नियमों/कानूनों के आवश्यक प्रावधानों को समाहित किया जावेगा।

इस संबंध में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिलों में कार्यरत प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने हेतु।
3. जिला कलक्टर, ... राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, खाद्य विभाग जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, ... राजस्थान को पालनार्थ।
8. डी.सी.पी.ओ., जिला ....., राजस्थान को पालनार्थ।
9. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति राज. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि. जिला ..... को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त 4.9.15

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ. 40(4)खा.ले./नीति/2009/पार्ट–III जयपुर, दिनांकः 15.12.2015

संशोधित दिशा–निर्देश
(दि0 04.09.2015 के क्रम में)

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संस्थाओं के गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव एवं परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों को डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है। राज्य में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के लागू होने के पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सामयिक आपूर्ति को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु, राज्य में कार्यरत थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ. 40(4)खा.ले./नीति/2009/पार्ट–III दिनांक 04.09.2015 के द्वारा दिशा निर्देशों के स्थान पर संशोधित दिशा–निर्देश निम्न प्रकार जारी किये जाते हैः–

1. विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 40(2)खा.ले./नीति/2004 दिनांक 21.09.2004 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा पूर्वानुसार खाद्यान्नों का उठाव एवं आपूर्ति कार्य किया जाता रहेगा। जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों के पास स्वयं के वाहनों द्वारा परिवहन व्यवस्था है उनको नियमानुसार कमीशन, परिवहन तथा हेण्डलिंग व्यय देय होगा। परन्तु जिन स्थानों पर केवीएसएस द्वारा अन्य संस्था/व्यक्तियों से परिवहन हेतु वाहन अनुबंधित किये जाते है, उन समितियों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खुली निविदाऐं आमंत्रित कर नियमानुसार परिवहन कार्य कराया जावेगा।
2. राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि0 जिन जिलों/तहसीलों में थोक विक्रेता का कार्य कर रहा है एवं जिन तहसीलों में भविष्य में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, उन जिलों में निगम द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खुली निविदाऐं आमंत्रित कर नियमानुसार परिवहन कार्य कराया जावेगा। निगम द्वारा निविदा समिति का गठन नियमानुसार किया जावेगा। समिति के गठन में जिला स्तर के अन्य अधिकारियों के नामांकन का अनुमोदन जिला कलक्टर से कराया जायेगा।
3. उपापन संस्था द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सूची तैयार की जावेगी तथा परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं खाद्यान्नों की सामयिक आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्य तत्कालीन कानूनों/नियमों के प्रावधान सम्मिलित किये जावेगें।
4. सामान्यतः एक परिवहनकर्ता अधिकतम दो तहसीलों के कार्य हेतु ही नियुक्त किया जावेगा। उपापन संस्था स्थानीय परिस्थियों एवं आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए गुणाव गुण के आधार पर दो से अधिक तहसीलों के लिए भी एक परिवहनकर्ता की नियुक्ति किये जाने का निर्णय ले सकती है। निविदा हेतु परिवहनकर्ता से निविदा के समय 1.50 करोड़ का सोलवेन्सी प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्राप्त किया जावेगा तथा सफल निविदादाता से बैंक गारण्टी नियमानुसार बाद में प्राप्त की जायेगी।

5. थोक विक्रेता द्वारा गेंहूँ के साथ–साथ चीनी की आपूर्ति भी गेंहूँ की परिवहन दरों पर अपने गोदाम से उचित मूल्य दुकान स्तर तक एक ही या अन्य दूसरे परिवहनकर्ता से कराई जा सकती है तथा अनलोडिंग भी उसी परिवहनकर्ता द्वारा किया जावेगा।
6. थोक विक्रेता द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु निर्धारित दरों के अन्तर्गत परिवहन कार्य कराया जावेगा। जिन थोक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर परिवहन कार्य कराया जा रहा है उनको उक्तानुसार कम परिवहन दरों का ही भुगतान देय होगा। यदि परिवहन निविदाओं के अन्तर्गत निर्धारित दरों से अधिक दरें प्राप्त होती है तो उपापन संस्था द्वारा जिला रसद अधिकारी/जिला कलक्टर के माध्यम से उक्त प्रस्ताव खाद्य विभाग को भिजवाया जावेगा तथा खाद्य विभाग द्वारा वित्त विभाग के अनुमोदन पश्चात् ही निर्धारित से अधिक परिवहन दरों का भुगतान हेतु अनुमति दी जा सकेगी।
7. यदि उपापन संस्था द्वारा सम्पूर्ण राज्य हेतु परिवहन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है तो इस हेतु गठित निविदा समिति के सदस्यों का अनुमोदन खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से कराये जाने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया सम्पादित की जावेगी।
8. अनुमोदित परिवहनकर्ता द्वारा उपापन संस्था के साथ नियमानुसार अनुबंध सम्पादित किया जावेगा जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं यथा समय जारी अन्य संबंधित नियमों/कानूनों के आवश्यक प्रावधानों को समाहित किया जावेगा।

(महावीर प्रसाद शर्मा) 15.12.15
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिलों में कार्यरत प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने हेतु।
3. जिला कलक्टर, ... राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, खाद्य विभाग जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, ... राजस्थान को पालनार्थ।
8. डी.सी.पी.ओ., जिला ....., राजस्थान को पालनार्थ।
9. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति राज. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि. जिला ..... को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

15.12.15
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त